

आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण प्रकरण संख्या 111/2023(धारा 14 रिक्वोरिटाईजेशन)

रिलायंस एरोट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय 11<sup>th</sup> फ्लोर, नॉर्थ साईड, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुम्बई महाराष्ट्र।

प्रार्थीवित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री बृज बिहारी गौतम पुत्र श्री श्याम सुन्दर गौतम,
  2. श्री ललित गौतम पुत्र श्री श्याम सुन्दर गौतम,
  3. श्री श्याम सुन्दर गौतम पुत्र श्री सीताराम गौतम,
  4. श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री श्याम सुन्दर गौतम,
- पता:-बावड़ी, सरना डूंगर, बैनाड़ रोड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणीएवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित:-श्री मनोहर मेड़तिया, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 02.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 28.03.2018 को पुनर्मुग्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री बृज बिहारी गौतम पुत्र श्री श्याम सुन्दर गौतम एवं श्री ललित गौतम पुत्र श्री श्याम सुन्दर गौतम के संयुक्त स्वामित्व की सम्पत्ति पट्टा नं. 5, ग्राम बावड़ी, ग्राम पंचायत सरना डूंगर, झोटवाड़ा, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 170.66 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 08,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। लक्ष्मी इण्डिया फाईनेन्स लिमिटेड ने अप्रार्थी ऋणी का खाता जरिये असाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट दिनांकित 29.03.2023 से प्रार्थी वित्तीय संस्था को स्थानान्तरित कर दिया गया था। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.08.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)



3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को 08,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 10,28,446/-रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 09.08.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

1. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री बृज बिहारी गौतम पुत्र श्री श्याम सुन्दर गौतम एवं श्री ललित गौतम पुत्र श्री श्याम सुन्दर गौतम के संयुक्त स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति पट्टा नं. 5, ग्राम बावड़ी, ग्राम पंचायत सरना डूंगर, झोटवाड़ा, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 170.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द

आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
जयपुर (ग्रामीण)